स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : "विद्या प्रसाद ग्रामोद्योग सेवा संस्थान"
2. संस्था का पता : ग्राम केनौना, पो0–थरूआपुर, तह0–हर्रैया, जिला–बस्ती
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :

1 प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था करना तथा उसका संचालन एंव प्रबन्धन करना।

2 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और पाली भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था एवं संचालन करना।

3 ज्ञानवर्धन हितार्थ, पुस्तकालय एंव वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना।

4 समाज का अधिकाधिक शैक्षिक, नैतिक, सांस्कृतिक, मानसिक एंव चारित्रिक विकास करना।

5 शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन करना।

6 शिक्षा के प्रति पूर्ण रूझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान पैदाकर अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।

7 कुटीर उद्योग के विषय में जानकारी तथा साथ–साथ कताई बुनाई सिलाई, कढ़ाई आदि महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमो का प्रचार–प्रसार कर सम्यक ज्ञानवर्धक और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

9 बालकएंव बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षा में सफल बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, काष्टकला दरीकालीन, टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, शार्टहैंड फोटोग्राफी, ब्यूटी पार्लर, आदि का प्रशिक्षण देना।

10 बालक/बालिकाओं को बालवाड़ी आगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा तथा अन्धो व गूगों बहरो के लिए विद्यालय आवास एंव भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करना।

11 पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियो जलाशयो की सफाई मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।

12 संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना, तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का श्रमार्जन करना।

13 संस्था द्वारा महिलाओं के सहभागिता पर आधारित कार्यो को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु तकनीकी शिक्षा पौष्टिक आहार पोषण शुद्ध खाद्य पदार्थो का उपयोग स्वास्थ्य उत्थान महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिला विकास कार्यकर्मो/परियोजनाओं का कियान्वयन/कार्यान्वयन व संचालन करना।

शिवप्रसाद तिवारी
चन्द्रभान तिवारी
प्रमोद प्रसाद तिवारी
श्याम भानु तिवारी
उदय भानु तिवारी
माला तिवारी
राज भानु तिवारी
मनोज कुमार तिवारी
मनोरमा तिवारी

14 संस्था द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एंव पर्यावरण जैसे आधार भूत आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनो का उपयोग करना।

15 संस्था द्वारा विकलागों मूक बधिरों, नेत्रहीनों, मंद बुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियो के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एंव आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोज़गारपरक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सकें, जैसे कार्य करना।

16 संस्था द्वारा हस्तकरघा, शक्तिकरघा, पापड़ उघोग, नमकीन, खाद्य तेलधानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, मूर्तिकला, पेन्टिग, हस्तकला, हस्तकागज वस्त्र उद्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडिमेड गारमेन्टस, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उधोग, मूर्तिकला, चित्रकला काष्ट, कला, हाथ कागज, लिफाफा, फाइवर, गिलास, मसरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौध रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी, कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि की उधमिता प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना व संचालन करना एंव उक्त व्यवसाय मे लगे लोगों का उत्थान करना।

17 संस्था द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता स्वजल/पेयजल परियोजनाओं के कार्यकमो को संचालित करना।

18 संस्था द्वारा जड़ी बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार–प्रसार व संचालन एंव औषधी पौधों के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान शिक्षा प्रसार–प्रचार की व्यवस्था करना।

19 संस्था द्वारा निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना, तथा उसका संचालन व प्रबधं करना।

20 संस्था द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियो, जंगल वासियो, आदिवासियो, अल्पसंख्यको, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गो व अतिकमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निःसहाय आवास पोषण पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध करना निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।

21 अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना तथा केन्द्र व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करना।

22 संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, का निस्तारण का दिशा निर्देशन एंव प्रचार–प्रसार एंव रोकथाम करना। प्रदूषण, ..ेत परियोजनाओ की व्यवस्था निर्माण एंव संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रो/लोगो की मदद करना।

सूर्यभान तिवारी
उदय भान तिवारी
माला तिवारी
राजभान तिवारी
मनोज कुमार तिवारी
मनोरमा तिवारी

23 संस्था द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यो/कार्यक्रमों/परियोजनाओ का एंव संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यो/परियोजनाओ के प्रबन्धन, कार्यान्वयन, कियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यान्कन, शोध, सांखिकी, रिकार्ड, सर्वे के कार्यो का संचालन व मार्गदर्शक के रूप सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना, अनुभवी प्रशिक्षको व वैज्ञानिको के सहयोग को उपलब्ध कराना।

24 संस्था द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सीवर, सफाई जल निकासी का निर्माण व संचालन करना तथा समग्र सफाई अभियान का संचालन करना।

25 संस्था द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल कूद से सम्बन्धित खिलाड़ियो को सभी पकार की सुविधा प्रदान करना तथा उन्हे राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचानें में साधन, सामग्री सहयोग व प्रोत्साहन देने का कार्य करना तथा कीडा स्तर का निर्माण व संचालन करना।

26 संस्था द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एंव पर्यावरण जैसे आधार भूत आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनो का उपयोग करना।

27 संस्था द्वारा ग्रामीण व शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल स्रोत, स्वच्छता एंव जलसंरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय समुदायिक भवन आदि का निर्माण एंव रख रखाव व प्रबन्धन करना।

28 समाज कल्याण, समाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग महिला, समाज नेडा, शिफसा, यूनेसको, यू0एन0डी0पी0, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी, अवार्ड, नावार्ड, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, वनविभाग, विकलांग एंव कुष्ठ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति विभाग ट्राईसेम, सूडा, डूडा, जलनिगम जलसंसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यकमों को प्राप्त करना।

29 योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ग्रामीण/शहरी के जीवन को रोगमुक्त करना।

30 महिला सुधार गृहों, महिला छात्रावासों, पुर्नवास केन्द्रो की स्थापना व उनका संचालन करना।

31 सम्प्रादायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के खिलाफ आवाज उठाना एंव राष्ट्रीय अखण्डता तथा राष्ट्रीय एकता स्थापति करने का प्रयास करना।

ऊषा भान तिवारी
उदय भान तिवारी
माला तिवारी
राजभान तिवारी
मनोज कुमार तिवारी
मनोरमा तिवारी

(5) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यो व पदाधिकारियो के नाम, पते, पद तथा जिनकोसंस्था के स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार कार्यभार सौपा गया है।

क्र0 सं0	नाम पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी पुत्र श्री विद्या प्रसाद तिवारी	संरक्षक	ग्राम आमा तिवारी, पो0 थरूआपुर जिला–बस्ती	कृषि
2	श्री सूर्यभान तिवारी पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी	प्रबन्धक	ग्राम आमा तिवारी, पो0 थरूआपुर जिला–बस्ती	कृषि
3	श्री शिव प्रसाद तिवारी पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी	अध्यक्ष	ग्राम केनौना, पो0 थरूआपुर जिला–बस्ती,	कृषि
4	श्री उदय भान तिवारी पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी	उपाध्यक्ष	ग्राम आमा तिवारी, पो0 थरूआपुर जिला–बस्ती	कृषि
5	श्री चन्द्रभान तिवारी पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी	मंत्री	ग्राम आमा तिवारी, पो0 थरूआपुर जिला–बस्ती	कृषि
6	श्री राजभान तिवारी पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी	कोषाध्यक्ष	ग्राम आमा तिवारी, पो0 थरूआपुर जिला–बस्ती	कृषि
7	श्रीमती माला तिवारी पत्नी श्री मदन गोपाल तिवारी	सदस्य	ग्राम वीरापुर, पो0–भौपतपुर, जिला–गोण्डा	ग्रहणी
8	श्रीमती मनोरमा तिवारी पत्नी श्री ओम प्रकाश तिवारी	सदस्य	ग्राम आमा तिवारी, पो0 थरूआपुर जिला–बस्ती	ग्रहणी
9	श्री मनोज कुमार तिवारी पुत्र श्री शिव प्रसाद तिवारी	सदस्य	ग्राम आमा तिवारी, पो0 थरूआपुर जिला–बस्ती	कृषि

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत समिति का गठन किया है और पंजीकृत कराना चाहते है:–

शिवप्रसाद तिवारी

दिनांक : 01/11/2011 अयोध्या प्रसाद तिवारी हस्ताक्षर

सूर्यभान तिवारी चन्द्रभान तिवारी

उदय भान तिवारी

राजभान तिवारी

माला तिवारी

मनोरमा तिवारी

मनोज कुमार तिवारी

नियमावली

1. संस्था का नाम : "विद्या प्रसाद ग्राम उद्योग सेवा संस्थान"

2. संस्था का पता : ग्राम केनौना, पो0–थरुआपुर, तह0–हरैया, जिला–बस्ती

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:**

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निः स्वार्थ भाव से एक बार में 5000/ रूपया सदस्यता शुल्क देगा या इतने ही मूल्य की चल अचल सम्पत्ति देगा, और सदस्यता हेतु अध्यक्ष से लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।

शिव प्रसाद तिवारी

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 500/ रूपया प्रत्येक वर्ष हेतु सदस्यता शुल्क देगा और सदस्यता हेतु अध्यक्ष से लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा ।

चन्द्रभान तिवारी

प्रमोद प्रसाद तिवारी

5 सदस्यता की समाप्ति:

1 मृत्यु हो जाने पर ।

सूर्य भान तिवारी

2 पागल या दिवालिया हो जाने पर ।

3 संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।

राज भान तिवारी

4 अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर ।

5 फौजदारी अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

उदय भान तिवारी

6 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

7 लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर।

माला तिवारी

8 तीन माह से अधिक सदस्यता षुल्क बकाया रहने पर।

मनोज कुमार तिवारी

6 संस्था के अंग : 1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति

मनोरमा तिवारी

7 साधारण सभा :

गठन : संस्था के आजीवन एंव सामान्य सदस्यों को मिला कर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठक : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :

1 प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4 संस्था के नियमों में संशोधन प्रकिया करना।

शिवप्रसाद तिवारी

8. प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिनमे संरक्षक एक, प्रबन्धक एक, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, मंत्री एक, कोषाध्यक्ष एक एवं 03 सदस्यों सहित कुल 09 होगी।

चन्द्रभान तिवारी
अयोध्या प्रसाद तिवारी
स्वर्ण भान तिवारी

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहूत की जा सकती है।

राज भान तिवारी
उदय भान तिवारी

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना कम से कम एक दिन पूर्व दी जायेगी।

माला तिवारी

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा।

मनोज कुमार तिवारी

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

मनोरमा तिवारी

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य

1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9 **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :**

संरक्षकः संस्था को अपना संरक्षण प्रदान करना और चुनाव अपनी देख रेख में कराना।

प्रबन्धक :

1 संस्था का कार्यालयी प्रबंध देखना।
2 संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
3 बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
4 बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
5 पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।

अध्यक्षः

1. सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
3. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
4. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
5. कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
6. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
7. संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
8. चल एवं अचल सम्पत्ति की देख–रेख व सुरक्षा करना।
9. संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।

शिवप्रसाद तिवारी
चन्द्रभान तिवारी
प्रमोद प्रसाद तिवारी
सूर्य भान तिवारी
राज भान तिवारी
उदय भान तिवारी

उपाध्यक्ष :

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करेगा व सहयोग प्रदान करेगा।

मंत्री :

1. समस्त संस्थाओं/एंजेसियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
2. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
3. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
4. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
5. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
6. संस्था के बैठकों की सूचना प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

भोला तिवारी
मनोज कुमार तिवारी
मनोरमा तिवारी

कोषाध्यक्ष :	1.	संस्था के विकास हेतु दान–अनुदान चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।
	2.	प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित बिलो का भुगतान करना।
	3.	संस्था की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
	4.	बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।

10 **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया :**

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11 **संस्था का कोष** : संस्था कां कोष रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर रखा जायेगा। खाते का संचालन प्रबन्धक मुख्य और मंत्री व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

12 **संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :**

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13 **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :**
संस्था द्वारा होने वाली पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14 **संस्था के अभिलेख :**

1 सदस्यता रजिस्टर 2 कार्यवाही राजिस्टर 3 लेजर–कैश बुक आदि

15 **संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।**

शिवप्रसाद तिवारी

दिनांक : 01/11/2011 **सत्य प्रतिलिपि**

माला तिवारी सूर्य भान तिवारी राज भान तिवारी
उदय भान तिवारी चन्द्र भान तिवारी
मनोरमा तिवारी
मनोज कुमार तिवारी